फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

नाथू विपक्षी मांगु

मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 187/17 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
08/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। अधिवक्ता वादीगण को वारिस कायमी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अब तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:30:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली • जिला-उदयपुर (राज.) •

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली